भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 42

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा विनियमन ढांचे को सुदृढ़ बनाना

42. श्री परषोत्तमभाई रूपाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के वित्त प्रभाग के सियोल वित्त एवं नवाचार केन्द्र की 'कुशल एवं प्रभावी बीमा गारंटी योजनाओं की स्थापना' शीर्षक वाली अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आईआरडीए बीमा विनियामक के विधायी विश्लेषण हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): "कुशल और प्रभावी बीमा गारंटी योजनाओं की स्थापना'' संबंधी अध्ययन रिपोर्ट पॉलिसीधारकों की सुरक्षा करने और बीमा क्षेत्र में जनता का विश्वास और स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर बीमा गारंटी योजनाओं(आईजीएस) के सृजन पर केन्द्रित है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, बीमा कंपनियों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए भारत में एक तंत्र मौजूद है जिसमें न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता संबंधी मार्जिन बनाए रखने, रिपोर्ट की गई साथ ही साथ रिपोर्ट नहीं की गई देनदारियों/दावों के लिए पर्याप्त आरक्षित निधियों का रखरखाव और भविष्य के अनुमानित दावों के लिए आरक्षित निधि शामिल हैं। इस प्रकार, इस संबंध में देश में ऋण शोधन क्षमता मानदंड, निवेश विनियम और पॉलिसीधारक संरक्षण नियम लागू हैं।

(ग) से (ड.): आईआरडीए अधिनियम, 1999 में संशोधित, बीमा कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का एक भाग है जो सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, विभिन्न देशों की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियामक ढाँचों का विश्लेषण किया गया है और उन्हें प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा तैयार करते समय शामिल किया गया है।

*****